भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2838

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2025

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी

2838. **श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः**
श्री बैन्नी बेहननः
श्री बलवंत बसवंत वानखडेः
एडवोकेट डीन कुरियाकोसः
श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्षों 2023-24 और 2024-25 के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार और लिंगवार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं में से प्रत्येक के अंतर्गत कुल कितनी निधि आवंटित, जारी और संवितरित की गई है;

(ग) क्या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र ने आवेदन सत्यापन या छात्रवृत्ति वितरण में देरी की सूचना दी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को सुव्यवस्थित करने और आधार, बैंक खाते या संस्थागत सत्यापन त्रुटियों के कारण छात्रों के बहिर्वेशन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाएँ लागू की हैं। इन योजनाओं को 2021-22 के बाद कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****